न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

146/2016
एमएस : 2016/00527
सतनामसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति रायसिख साकिन 44 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
खजानसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति रायसिख साकिन 44 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:वादीगण

बनाम

मृतक गुरनामसिंह पुत्र लालसिंह के कानुनी वारिसः—
1/1. सुमित्रा देवी पत्नी स्व. गुरनाम सिंह
1/2. सुखविन्द्रसिंह पुत्र स्व. गुरनाम सिंह
1/3. सोमसिंह पुत्र स्व. गुरनाम सिंह
1/4. पम्पसिंह पुत्र स्व. गुरनाम सिंह
} जाति रायसिख साकिन 44 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

1/5. मृतक बलजिन्द्रसिंह पुत्र श्री **गुरनामसिंह के कानुनी वारिसः—**
1/5/1. गुरसेवकसिंह पुत्र स्व. बलजिन्द्रसिंह
1/5/2. पिंकी पुत्री स्व. बलजिन्द्रसिंह
1/5/3. संदीप पुत्र स्व. बलजिन्द्रसिंह
} नाबालिग जरिये संरक्षक बली बड़े पिता सुखविन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह

जातियान रायसिख साकिन 44 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. नायब तहसीलदार समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—90—92राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 13.01.2016

उपस्थित अधिवक्तागण
1. **श्री रणजीतसिंह सोनी अधि. वादीगण।**
2. **श्री सोहनलाल जोशी अधि. प्रतिवादीगण।**

—: निर्णय :— **दिनांक : 31.07.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मृतक लालसिंह पुत्र श्री महलसिंह जाति रायसिख साकिन 44 पीएस के नाम से चक 44 पीएस तहसील रायसिंहनगर का प.नं. 285/322 मु.नं. 19 कि.नं. 1—3—5—6—8—10—11/1—13—15—18—23—25 कुल 3.162 है. नहरी व इसी चक का प.नं. 292/326 मु.नं. 68 के कि.नं. 5—6—14/2—15/2 में 0.759 है. जो पूर्व में बारानी थे उसके बाद यह रकबा नहरी हुआ। जो जमाबन्दी में नहरी दर्ज है। इसी चक का प.नं. 291/326 मु.नं. 69 का कि.नं. 1 से 10/2 कुल रकबा 2.403 है. जिसमें कि.नं. 6 बारानी रहा है और बाकी रकबा नहरी हो चुका है इस प्रकार कुल 6.324 है. जिसमें 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी अंकित है लेकिन बारानी रकबा नहरी होने के कारण जमाबन्दी में इसका इन्द्राज किया गया है। कि.नं. 6 को छोड़कर सम्पूर्ण रकबा नहरी है जो मु.नं. 69 कि.नं. 6 बारानी है। उक्त रकबा लालसिंह को आवंटन किया गया और लालसिंह ने उक्त रकबा की तमाम किस्त राजस्व रिकार्ड में जमा करवा दी। जो रकबा नहरी व बारानी हुआ उसकी अन्तर राशि कुछ बकाया थी वही भी दिनांक 11.06.2015 को राजस्व रिकार्ड में जमा करवा दी गई है। मृतक लालसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 01.06.1994 को रोबरू गवाहान एक वसीयतनामा चक [illegible] मु.नं. 69 तीनों मुरब्बों जिनके किलाजात उपरोक्त पेहरा में दिये जा चुके [illegible] आवंटन शुद्दा भूमि जिसकी तमाम किस्ते लालसिंह ने ज[illegible] का वारिस जरिये वसीयतनामा वादीगण सतनामसिंह—ख[illegible] प्रतिवादीगण [illegible] गुरनामसिंह को माना अन्य किसी वारिस को इस भूमि क[illegible] तस्दीक शुद्दा है जिसके हासिया गवाहान [illegible] के समक्ष यह वसीयत लालसिंह ने लिखवाई थी जो निहालचन्द वसीकानवीस द्वारा लिखी गई है। जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

लालसिंह का अगूंठा है। इस प्रकार इस वसीयत के आधार पर उपरोक्त भूमि [illegible] है उसके वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 है अन्य कोई वारिस इस भूमि के [illegible] इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादगण जरिये वसीयत इस भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है जिसे पाने के लिए वादीगण विधिक रूप से हकदार है और घोषणात्मक वाद द्वारा [illegible] हक घोषित करवाने के विधिक रूप से हकदार है व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी पाने के विधिक रूप से हकदार है। वादी ने बरोबरू गवाहान दिनांक 25.09.2016 को प्रतिवादीगण को उपरोक्त वसीयत अनुसार विभाजन व कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा, तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। वसीयत अनुसार 1/3 हिस्सा बंटवारा व कब्जा काश्त के आधार पर भूमि का विभाजन नहीं होने देंगे। यही तारीख विनाय मुखासमत व विनाय दावा है। विवादित भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित है तथा न्यायालय को खाता विभाजन करने व वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है व अन्दर मियाद पेश है अतः राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर हे अतः प्रति. सं. 8 नायब तहसीलदार समेजा कोठी को सरकार की तरफ से पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न प्रकार से फैसल व डिक्री फरमाया जावे कि चक 44 पीएस का मु.नं. 19 प.नं. 285/322 व मु.नं. 68 प.नं. 292/326 व मु.नं. 69 प.नं. 291/326 तीनों मुरबा की कुल 6 324 है. नहरी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा प्रत्येक का घोषित किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर की जारी की जावे कि प्रतिवादी अपने हिस्सा को छोड़कर अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। रिकार्ड व मौका की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा में किसी प्रकार की मदालखत बेजा नहीं करे। दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि.सम्मन तलब किया गया। प्रति. सं. 1/1 ता 1/5 की तरफ से श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा में कथन किया है कि स्व. लालसिंह ने कोई भी वसीयत अपने जीवनकाल में यानि दिनांक 01.06.1994 को अपनी स्वेच्छा से नहीं करवायी थी। स्व. लालसिंह की भूमि में से वादीगण व गुरनाम सिंह का 1/3 हिस्सा नहीं बनता हैं। स्व. लालसिंह ने अपनी भूमि में से 12.10 बीघा तो गुरनामसिंह के नाम से वसीयत करवा दी थी और अपना ट्रैक्टर भी गुरनामसिंह को वसीयत करके दे दिया हैं। वादीगण ने इस वसीयत को सही मानते हुए टैक्टर का कब्जा गुरनामसिंह को दे दिया गया हैं इसलिए व अब कोई आपत्ति नहीं कर सकते है। इस वसीयत के पश्चात स्व. लालसिंह के पास 12.10 बीघा भूमि की बकाया रहती हैं। इसलिए 12.010 बीघा ही लालसिंह की 10 सन्तानों का बराबर का अधिकार इसमें भी गुरनामसिंह का 1/10 हिस्सा यानि 1.5 बीघा भूमि और आती है। इसलिए प्रतिवादीगण लालसिंह की भूमि में से कुल 13.15 बीघा भूमि पाने की अधिकारी है। अब पक्षकारों से काफी तनाव पैदा हो गया है इसलिए संयुक्त काश्त करना भी संभव नहीं है और आपसी बाहमी बंटवारा के कारण मुरब्बा नं. व कि.नं. खुलवा कर प्रतिवादी के कब्जा में है और यही रकबा प्रतिवादीगण बंटवारा में लेना चाहते है इसलिए बंटवारा करके वादीगण को यही किलेजात दिए जावे बाद बंटवारा इन्ही किलो का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में किया जावे और इसी प्रकार से राजस्व कर आदि भी विभाजित किये जावे। लिहाजा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। दिनांक 07.05.2025 को सरकार की तरफ से उप तहसीलदार समेजा कोठी ने सरकार जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–
   1. आया कि चक 44 पीएस प.नं. 285/322 मु.नं. 19 की भूमि 3.162 है. नहरी प.नं. 292/326 मु.नं. 68 की 0.759 है., प.नं. 291/326 मु.नं. 69 का 2.403 है. कुल रकबा 6.324 है. जिसमें से 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी में से वादीगण प्रत्येक 1/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

      —:जिम्मे वादी
   2. आया कि उक्त वर्णित भूमि में से 12.18 बीघा भूमि वसीयत दिनांक 09.01.1995 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 वर्तमान में उसके वारिस प्राप्त करने के अधिकारी है।

      —:जिम्मे प्रतिवादी
   3. आया कि वर्णित भूमि में से 12.10 बीघा भूमि पर वसीयत दिनांक 09.01.1995 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 वर्तमान में उसके वारिस के कब्जा काश्त में है।

      —:जिम्मेप्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

4. आया कि वसीयत दिनांक 09.01.1995 के अलावा लालसिंह के पास 12.10 बीघा भूमि में से लालसिंह की 10 सन्तानों के बराबर का अधिकार होने के कारण गुरनामसिंह प्रतिवादी सं. 1 (वर्तमान में उसके वारिस) 1/10 यानि 1.5 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

5. अन्य अनुतोष

—: जिम्मे प्रतिवादी

4. दिनांक 24.07.2025 को वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्तागण राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत की प्रेरणा से आपस मे राजीनामा कर लिया है और राजीनामा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद को डिग्री करवाना चाहते है। मृतक लालसिंह के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा जो राजीनामा किया गया है वह निम्न प्रकार से है :—

1. चक 44 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 प.नं. 285/322 में 3.162 है. नहरी व मुरब्बा नं. 68 प.नं. 292/ 326 में 0.759 है. बारानी व मुरब्बा नं. 68 पं.नं. 292/ 326 में 0.126 है. नहरी व 2.277 है. बारानी इस प्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बा में कल 6.324 है. नहरी/बारानी भूमि में से 1.897 है. नहरी/बारानी भूमि को सतनामसिंह पुत्र श्री स्व. लालसिंह जाति रायसिख साकिन 44 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज. दी गई है।
2. चक 44 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 प.नं. 285/322 में 3.162 है. नहरी व मुरब्बा नं. 68 प.नं. 292/326 में 0.759 है. बारानी व मुरब्बा नं. 68 पं.नं. 292/326 में 0.126 है. नहरी व 2.277 है. बारानी इस प्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बा में कल 6.324 है. नहरी/बारानी भूमि में से 1.897 है. नहरी/बारानी भूमि खजान सिंह पुत्र श्री स्व. लालसिंह जाति रायसिख साकिन 44 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज दी गई है।
3. चक 44 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 प.नं. 285/322 में 3.162 है. नहरी व मुरब्बा नं. 68 प.नं. 292/ 326 में 0.759 है. बारानी व मुरब्बा नं. 68 पं.नं. 292/ 326 में 0.126 है. नहरी व 2.277 है. बारानी इस प्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बा में कल 6.324 है. नहरी/बारानी भूमि में से 2.530 है. नहरी/बारानी भूमि मृतक गुरनामसिंह के वारिसान 1/1 से 1/4 तक व 1/5 मृतक बलजिन्द्र सिंह के वारिसान 1/5/1 से 1/5/3 तक को दी गई है। वादीगण एवं प्रतिवादी मृतक गुरनामसिंह के वारिसान सहमत है और राजीनामा अनुसार वाद को डिग्री फरमाया जावे एवं रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

5. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.07.2025 के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

—:आदेश:—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 को स्वीकार किया जाता है गण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24.07.2025 के अनुसार मृतक लालसिंह के सान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम निम्नानुसार डिग्री जारी की जाती है:—

1. चक 44 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 प.नं. 285/322 में 3.162 है. नहरी व मुरब्बा नं. 68 प.नं. 292/ 326 में 0.759 है. बारानी व मुरब्बा नं. 68 पं.नं. 292/ 326 में 0.126 है. नहरी व 2.277 है. बारानी इस प्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बा में कल 6.324 है. नहरी/बारानी भूमि में से 1.897 है. नहरी/बारानी भूमि को सतनामसिंह पुत्र श्री स्व. लालसिंह जाति रायसिख साकिन 44 पीएस तह. रायसिंहनगर के नाम खातेदार।
2. चक 44 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 प.नं. 285/322 में 3.162 है. नहरी व मुरब्बा नं. 68 प.नं. 292/326 में 0.759 है. बारानी इस प्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बा में कल 6.324 है. नहरी/बारानी भूमि में से 1.897 है. नहरी/बारानी भूमि खजान सिंह पुत्र श्री स्व. लालसिंह जाति रायसिख साकिन 44 पीएस तह. रायसिंहनगर के नाम खातेदार।
3. चक 44 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 प.नं. 285/322 में 3.162 है. नहरी व मुरब्बा नं. 68 प.नं. 292/ 326 में 0.759 है. बारानी व मुरब्बा नं. 68 पं.नं. 292/

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

326 में 0.126 है. नहरी व 2.277 है. बारानी इस प्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 3.288 है. नहरी व 3.036 है. बारानी भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बा में कुल 6.324 है. नहरी/बारानी भूमि में से 2.530 है. नहरी/बारानी भूमि मृतक गुरनामसिंह के वारिसान 1/1 से 1/4 तक व 1/5 मृतक बलजिन्द्र सिंह के वारिसान 1/5/1 से 1/5/3 तक के नाम खातेदार। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner